


30/5
पत्रगली राजस्व लोक अदालत
केस का. 1144 दि. 24/5/18
को पेश हो

22/5/18

लक्ष्मी

जानमा
वाला



नि. मा. ल. जी

फ्याकली - माय आपले 318 अभियान 2018
लोक अदालत केस का. 1144 दि. 24/5/18
वाली एवं प्रतिवादीगण उपस्थित | वादी एवं प्रतिवादीगण

द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद का निवृत्ताण करने
का निवेदन किया | वादी एवं प्रतिवादीगण ने

पहचान रक्तरूप आधार कार्ड की दस्तावेजावली
प्रति प्रस्तुत की जो शामिल फ्याकली की गई |

वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान पचाही हलका,
शु. अ. निरीक्षण द्वारा की गई |

राजीनामा लक्ष्मीक का शामिल फ्याकली लिख
उपमा/राजीनामा अनुसार लिखी सूचक ले जाती कर
शामिल फ्याकली की गई |

फ्याकली फेरल सुमार होकर नम्बर ले कर की
जावे |

310 .

मूल वाद मे डिकरी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झूंगरपुर राजस्थान
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) काकरादरा
पीठासीन अधिकारी दीपक मेहता, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी झूंगरपुर

अनवान

1. श्री नाना पिता लेम्बा मनात मीणा निवासी हिम्मतपुरा तहसील व जिला झूंगरपुर

वादी

बनाम

1. श्री लालजी पिता लेम्बा मीणा निवासी हिम्मतपुरा तहसील व जिला झूंगरपुर
2. श्री जालमा पिता लालजी मीणा निवासी हिम्मतपुरा तहसील व जिला झूंगरपुर
3. श्री लक्ष्मण बरण्डा पिता लालू बरण्डा मीणा निवासी बलवाडा
4. श्री तहसीलदार साहब, तहसील व जिला झूंगरपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.A

मुकदमा नम्बर :- 91/15

निर्णय दिनांक :- 22/05/2018

वादी की ओर से श्री नाना पिता लेम्बा मनात मीणा निवासी हिम्मतपुरा की व प्रतिवादी की ओर से लालजी, जालमा और लक्ष्मण निवासी हिम्मतपुरा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 22/05/2018 को दीपक मेहता पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकरी दी जाती है कि :- मौजा हिम्मतपुरा पटवार हल्का काकरादरा भू0 अ0 निरिक्षक क्षेत्र थाणा के जमाबंदी सवत् 2070-2073 के खाता संख्या 12 नया 9 पुराना के खसरा न 120/4 रकबा 2 बीघा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे सीमा जानकारी करवायी जावे। अगर उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण स्वयं हटा लेगे। तहसीलदार झूंगरपुर को सीमा जानकारी करवाने हेतु लिखा जावे। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 22/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।



(दीपक मेहता)

पीठासीन उपखण्ड अधिकारी
झूंगरपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
2. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
5.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
7. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
8. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

उपखण्ड अधिकारी
झूंगरपुर